INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

सत्यमेव जयते

Certificate No.	:	IN-UP97570692365860T
Certificate Issued Date	:	01-Jul-2021 12:51 PM
Account Reference	:	NEWIMPACC (SV)/ up14071104/ HAPUR SADAR/ UP-HPU
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUP14071104829355064087 93T
Purchased by	:	Smt Garima Singh
Description of Document	:	Article 5 Agreement or Memorandum of an agreement
Property Description	:	Anand Vihar Awasiya Yojana Hapur
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	Pradeep Kumar Gupta and other
Second Party	:	Smt Garima Singh
Stamp Duty Paid By	:	Smt Garima Singh
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	1,20,000 (One Lakh Twenty Thousand only)

E-Stamp Locked

Self attested

---------------------------------Please write or type below this line---------------------------------

0010006841

प्रतिज्ञा-पत्र विक्रय (बिना कब्जा)

1. क्षेत्र	–	I
2. भूमि का प्रकार	–	आवासीय
3. परगना	–	हापुड
4. ग्राम / मौहल्ला	–	आनन्द विहार, आवासीय योजना हापुड
5. भूमि का विवरण	–	प्लाट नम्बर एल–509
6. इकरारी क्षेत्रफल	–	200 वर्गमीटर
7. मापन की इकाई	–	वर्गमीटर
8. इकरारी अवधि	–	01–10–2021
9. इकरारी कीमत	–	60,00,000 / –
10. ब्याना / पार्ट पेमेन्ट	–	5,00,000 / –
11. स्टाम्प शुल्क	–	1,20,000 / –

अंकन 1,20,000 / –रूपये E-Stamp No UP975706923658607T दिनांक 01–07–2021 के द्वारा स्टाम्प अदा किया गया है।

Self attested

हम कि प्रदीप कुमार गुप्ता (**PAN ADAPG5554C**) पुत्र श्री सर्वदानन्द गुप्ता व श्रीमती वन्दना कुमार (**PAN ALXPK7192D**) पत्नी श्री पत्नी श्री अरूणेश कुमार निवासीगण 51, रेवती कुंज रेलवे रोड हापुड तहसील व जिला हापुड अन्तरणकर्ता (विक्रेता) प्रथम पक्ष मो. 9627744226

एवं

श्रीमती गरिमा सिंह (**PAN BLHPS9765D**) पत्नी श्री मनोज कुमार सिद्धू निवासी ग्राम कनिया कल्याणपुर परगना व तहसील व जिला हापुड हाल निवासी जे–26, जजेज कम्पाउण्ड मलखाननगर अलीगढ अन्तरिति (क्रेता) द्वितीय पक्ष। मो. 8979313561

इकरारी भूमि का विवरणः

स्थित आनन्द विहार आवासीय योजना, हापुड (हापुड पिलखुवा विकास प्राधिकरण हापुड) परगना व तहसील व जिला हापुड मे एक नग प्लाट नम्बर एल–509 कुल क्षेत्रफल 200 वर्गमीटर है, जिसके

पूरब मे	– सडक 36 मीटर चौडी	भुजा –	10 मीटर
पश्चिम मे	– प्लाट नम्बर एल–538	भुजा	10 मीटर
उत्तर मे	– प्लाट नम्बर एल–508	भुजा	20 मीटर
दक्षिण मे	– प्लाट नम्बर एल–510	भुजा	20 मीटर

है, जिसका प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष के हक मे पूर्ण का इकरारनामा किया है।

जो कि उक्त वर्णित सम्पत्ति को प्रथम पक्ष प्रदीप कुमार गुप्ता की पत्नी श्रीमती साधना गुप्ता व श्रीमती वन्दना कुमार ने बजरिये बैनामा दिनांक 11-03-2013 जिल्द 8729 के पृष्ठ 67/94 मे नम्बर 2940 के द्वारा क्रय किया था श्रीमती साधना गुप्ता की मृत्यु हो चुकी है प्रथम पक्ष प्रदीप कुमार गुप्ता अपनी पत्नी श्रीमती साधना की मृत्यु के पश्चात व श्रीमती वन्दना कुमार उक्त मालिक स्वामी, काबिज व हस्तान्तरण करने के अधिकारी हैं, उक्त सम्पत्ति आज दिन तक हर प्रकार के भार से मुक्त है तथा विवाद रहित है, बैंक लोन व जमानत सरकारी व गैर सरकारी आदि--आदि से पाक साफ है व वैधानिक या अवैधानिक दोष रहित तथा विक्रय आदि के लिये अन्य महायदा वय आदि से सुरक्षित है, उक्त वर्णित सम्पत्ति का निश्चित मूल्य अकन 60,00,000/- रुपये है, प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष से बतौर ब्याना व पार्ट पेमेन्ट अकन 5,00,000/- रुपये इस प्रकार कि अकन 2,50,000/- रुपये चैक नम्बर 047008 व अकन 2,50,000/- रूपये चैक नम्बर 047009 उक्त दोनो दिनाक 02-07-2021 भारतीय स्टेट बैंक अलीगढ के द्वारा प्राप्त कर लिया है एव शेष अकन 55,00,000/- रुपये प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष से बैनामा के समय प्राप्त करेगा, मे प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष के साथ विक्रय करने का अनुबन्ध कर लिया है, अतः पक्षगण व वारिसान पक्षगण प्रतिज्ञा पत्र की धाराओ का पालन करेगे:-

1. यह कि उभय पक्ष के मध्य बैनामा कराये जाने की अवधि आज से दिनाक **01-10-2021** तक तय पायी हैं, तथा उक्त तिथि मे सार्वजनिक अवकाश होने की दशा मे आगामी कार्य दिवस माना व समझा जायेगा। तथा द्वितीय पक्ष सरकारी अधिकारी है द्वितीय पक्ष को अपने विभाग से बैनामा की अनुमति लेनी है और यदि द्वितीय पक्ष को किसी कारणवश अनुमति प्राप्त होने विलम्ब होता है तो ऐसी परिस्थिति मे पक्षगण एक दूसरे का सहयोग करेगे, जिसमे प्रथम पक्ष को कोई आपत्ति नही होगी।

2. यह कि द्वितीय पक्ष को यह अधिकार होगा कि उक्त निश्चित अवधि के अन्दर प्रथम पक्ष से इस सम्पत्ति का बैनामा या बैनामेजात अपने अथवा अपनी इच्छानुसार किसी भी अन्य व्यक्ति, व्यक्तिगण, फर्म, कम्पनी या संस्था या परिवारजन आदि के पक्ष मे एक तिथि या भिन्न-2 तिथि मे अपने खर्च पर करा ले, जिसमे प्रथम पक्ष को कोई उज्र नहीं होगा।

3. यह कि प्रथम पक्ष ने निश्चित अवधि के अन्दर सम्पत्ति बयतलब का बैनामा द्वितीय पक्ष अथवा उसकी इच्छानुसार किसी भी अन्य व्यक्ति के पक्ष मे कराने पर बहाना या आपत्ति की तो ऐसी दशा मे द्वितीय पक्ष को न्यायालय द्वारा प्रथम पक्ष की सम्पत्ति बयतलब का बैनामा अदालत द्वारा प्राप्त कर लेने का अधिकार होगा। न्यायालय का हर्जा खर्चा प्रथम पक्ष वहन करेगा। यदि निश्चित अवधि के भीतर द्वितीय पक्ष सम्पत्ति बयतलब का बैनामा बिना किसी कारण के नहीं करा सकेगा तो निश्चित अवधि समाप्त होने के पश्चात द्वितीय पक्ष को अपना दिया हुआ ब्याना वापिस पाने का अधिकार न होगा।

4. यह कि प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष को पूर्ण विश्वास दिलाया है कि इकरारी सम्पत्ति आज दिन तक हर प्रकार के आड, बय, लोन आदि-2 दोषो से पूर्णतय: मुक्त है, बैनामा के समय जो भी जरूरी कागजात इकरारी सम्पत्ति के सम्बन्ध मे है उनको लाने व उसके खर्चे का दायित्व प्रथम पक्ष विक्रेता का होगा तथा बैनामा से पूर्व समस्त कागजात आदि-2 जो भी आवश्यक होगे को प्रथम पक्ष अपने खर्चे से प्राप्त करके द्वितीय पक्ष को रजिस्र्टड डाक द्वारा सूचित करेगा।

5. यह कि इकरारी सम्पत्ति के बैनामा का समस्त खर्चा द्वितीय पक्ष वहन करे, प्रथम पक्ष का बैनामे के खर्चे से किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध नही होगा।

6. यह कि इकरारी सम्पत्ति पर जो स्टाम्प शुल्क अदा किया गया है वह बैनामा के समय समायोजित किया जायेगा, भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 27 (1) के अन्तर्गत ऐसे सभी तथ्य तथा परिस्थितियां जो स्टाम्प देयता को प्रभावित कर सकते है को लेखपत्र मे सत्यतापूर्वक अंकित कर दिये गये है, कोई तथ्य छुपाया नहीं गया है।

Self attested

अतः यह लेख इकरारनामा महायदा बय अपनी स्वेच्छा, प्रसन्नता, चेतन्यमनोबुद्धि की अवस्था मे बिना दबाव के तहरीर कर दिया कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवे। नोट– द्वितीय पक्ष बैनामा के निष्पदन से पूर्व कब्जा पाने के अधिकारी नहीं होगे। मसविदा स्वंय पक्षगण के कहने पर टाइप किया गया है।

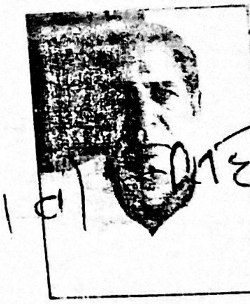

ह. साक्षी रनवीर सिंह पुत्र श्री ध्यान सिंह
निवासी ग्राम कनिया कल्याणपुर मो. 9997111315

ह. साक्षी मनोज कुमार सिंह पुत्र श्री कालू सिंह
निवासी ग्राम कनिया कल्याणपुर मो. 8979852556

दिनांक : 01-07-2021

अशोक कुमार त्यागी
दस्तावेज लेखक तहसील हापुड़
दस्तावेज लेखक